बच्चों और युवाओं की सुरक्षा संबंधी नीति

संक्षिप्त विवरण

1.1. प्रस्तावना

Junior Adventures Group (JAG) में हमारा यह मानना है कि सभी बच्चों को सुरक्षित रहने और सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। हम अपनी संपूर्ण बाल केंद्रित सोच में बच्चों पर सबसे अधिक ध्यान देते हुए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करते हुए एक साथ मिलकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्धित हैं। हम एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों और समुदायों की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देते हैं और गर्व महसूस करते हैं।

हम अपने फर्स्ट नेशन्स के लोगों को उस भूमि के पारंपरिक मालिकों के तौर पर मान्यता देते हैं और गर्व महसूस करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, खेलते हैं और सीखते हैं। देश और संस्कृति के सतत संरक्षकों के रूप में, हम बुजुर्गों के अतीत, वर्तमान और उभरते हुए कल के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त करते हैं।

1.2. उद्देश्य

हम यह समझते हैं कि हर बच्चे को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा, डराए-धमकाए जाने और शोषण से सुरक्षित रहने का अधिकार है, और इस अधिकार को बनाए रखने के लिए संगठनात्मक सोच, समर्पित नेतृत्व, तरीकों और संसाधनों की ज़रूरत होती है।

हम यह भी समझते हैं कि हर बच्चे को अपनी उम्र के अनुसार खेलने, आराम करने और मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है। इसके साथ ही, सांस्कृतिक जीवन और कला में भी स्वतंत्र रूप से भाग लेने की सक्षमता की जरूरत होती है, और यह सब बच्चों की सुरक्षा (बाल संरक्षण) और कल्याण की आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

JAG में हमारी सोच, हमारे निर्णयों और हमारे कार्यों में, हर बच्चे की सुरक्षा और कल्याण पर सबसे अधिक ध्यान दिए जाने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी JAG में कार्यरत सभी लोगों की है।

हम बच्चों की बात सुनने और उनकी बात पर गंभीरता से ध्यान देकर उन्हें सशक्त बनाने एवं उनके द्वारा हमारे समक्ष रखे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्धित हैं।

1.3. सर्वोच्चता सिद्धांत

JAG में, हमारे काम के सभी पहलुओं में बच्चों की सुरक्षा, अधिकार और श्रेष्ठ हित सबसे महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा और देखभाल सेवाएँ प्रदान करते हुए, हर निर्णय, कार्य और पारस्परिक विचार-विमर्श में बच्चों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को अन्य सभी पहलुओं से अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। JAG में बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार और दुराचरण को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है।

JAG में कार्यरत सभी लोगों को बच्चों को सुरक्षित रखने, उनके अधिकारों को समर्थन देने, और सुरक्षित, समावेशी एवं सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देने वाले तरीकों से काम करने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के मामलों में, बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

1.4. विषय क्षेत्र

यह नीति JAG के लिए वैतनिक या अवैतनिक क्षमता में काम करने वाले या गतिविधियाँ और/या सेवा प्रदान करने वाले सभी लोगों पर लागू होती है।

यह नीति JAG में बच्चों से संबंधित, या उनके संपर्क में आने वाली सभी गतिविधियों पर लागू होती है।

इस नीति में ये मानक शामिल किए गए हैं:

- बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत - 2018 (NSW/ACT, QLD, VIC और WA द्वारा मान्यता प्राप्त)
- बाल सुरक्षा मानक विक्टोरिया – 2022
- NSW बाल सुरक्षा मानक – 2020
- QLD बाल सुरक्षा मानक – 2025

1.4 वैधानिक आवश्यकताएँ

JAG इनके अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्धित है:

- शिक्षा और देखभाल सेवा राष्ट्रीय कानून अधिनियम 2012
- परिवार कानून अधिनियम 1975 (Cth) – *इसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान शामिल हैं*
- बच्चों के लिए सुरक्षित संगठनों के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत 2018
- ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग अधिनियम – 1986 (Cth): JAG बच्चों के अधिकारों पर UN सम्मेलन - 1989 का समर्थन करता है।
- अन्य प्रासंगिक स्टेट/टेरिटरी कानून के लिए *संदर्भ अनुभाग देखें*

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलनों द्वारा निर्देशित – *नवंबर 1989 को अपनाया गया*

4 नीति कथन

बच्चों के लिए:

बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। JAG में, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हानि, दुर्व्यवहार, अवहेलना या शोषण घृणायोग्य है और इसे कभी भी बर्दाश्त या नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।

बच्चों को यह जानने और मानने की ज़रूरत है कि उन्हें सुरक्षित रहने और हमेशा सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है।

हम बच्चों के अधिकारों के प्रति हमारी समझ को बच्चों और उनके परिवारों को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनाकर इसे संभव बनाएँगे।

हम सांस्कृतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों की सकारात्मक पहचान, जागरूकता, सम्मान और जश्न के महत्व को भी मान्यता देते हैं।

हम यह उम्मीद करते हैं कि JAG में कार्यरत लोगों और JAG की गतिविधियों से बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि, अवहेलना या शोषण नहीं होगा।

यदि JAG में कार्यरत किसी व्यक्ति या गतिविधि के कारण बच्चों की सुरक्षा, बचाव या कल्याण संबंधी किसी भी नियम, JAG नीति /प्रक्रिया या कानून का उल्लंघन होता है, तो यह इस नीति का गंभीर उल्लंघन है।

अभिभावकों/संरक्षकों के लिए

हम अभिभावकों और संरक्षकों से उनके बच्चे/बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के बारे में ईमानदारी और स्पष्टता से बात करने के लिए प्रतिबद्धित हैं।

हम परिवारों के साथ साझेदारी में बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम और सेवाएँ प्रदान करते हैं जो उन्हें अपने समुदायों की लगातार बदलती ज़रूरतों को पूरा करने में सशक्त बनाते हैं।

हम अपने सुरक्षा और कल्याण के तरीकों, नीतियों और प्रक्रियाओं में अभिभावकों के विचारों को सुनना और शामिल किए जाना सुनिश्चित करेंगे।

यदि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, हम अभिभावकों और संरक्षकों के साथ अपने निर्णय लेने में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धित हैं।

JAG में कार्यरत लोगों के लिए

हम JAG में कार्यरत लोगों को उनकी भूमिका में सहायता देने और उनके विकास में मदद करने वाली प्रबंधन संरचना के लिए प्रतिबद्धित हैं।

हम बच्चों की सुरक्षा और कल्याण में मदद करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण के लिए नियमित अवसर प्रदान करेंगे, जिसमें इस नीति के साथ सालाना (कम से कम) ट्रेनिंग भी शामिल है।

हम JAG में कार्यरत लोगों द्वारा बच्चों को नुकसान से सुरक्षित रखने संबंधी व्यक्त की गई सभी चिंताओं को सुनने और नुकसान के खुलासे की घटनाओं से प्रभावित लोगों को औपचारिक डीब्रीफिंग और परामर्श देने के लिए प्रतिबद्धित हैं।

यदि आप इन चीजों को देखते हैं या आपको इनके बारे में पता चलता है:

- चिंता या संदेह — इसमें ग्रूमिंग (शोषण के लिए तैयार करना के) संकेत, सीमा का उल्लंघन, असहज व्यवहार शामिल हैं
- ऐसा व्यवहार जो रिपोर्ट करने योग्य हो सकता है (शारीरिक हानि, लापरवाही, मानसिक हानि, यौन दुर्व्यवहार)
- किसी बच्चे को संभावित या वास्तविक नुकसान
- कोई सहकर्मी किसी मामले की रिपोर्ट नहीं करता है या "सारी चिंताओं के बारे में नहीं बताता है"
- आपको इन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता है:
- अपने डायरेक्ट मैनेजर, सर्विस कोऑर्डिनेटर या,
- सर्विस मैनेजर, रीजनल मैनेजर और/या किसी नामित बाल सुरक्षा अधिकारी को

4 सिद्धांत

3.1. बच्चों का सम्मान करना

हम बच्चों को अपनी बात कहने और जिन गतिविधियों में वे भाग लेते है एवं जिन लोगों से वे बातचीत करते हैं, उनके बारे में फ़ीडबैक देने के अवसर प्रदान करेंगे। हम निर्णय लेने में बच्चों की भागीदारी को महत्व देंगे, जिसमें सुरक्षा और कल्याण संबंधी निर्णय भी शामिल हैं। हम हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं और कमज़ोरियों का सम्मान करते हुए उन्हें JAG के निर्णयों में शामिल किए जाना सुनिश्चित करेंगे।

हम हर बच्चे की संस्कृति और पहचान को महत्व देते हैं एवं उसका सम्मान करते हैं और इन्हें सकारात्मक रूप से पहचानते हैं एवं इन पर गर्व महसूस करते हैं।

हम यह उम्मीद करते हैं कि JAG में कार्यरत सभी वयस्क लोग बच्चों की सुरक्षा, बचाव या कल्याण संबंधी किसी भी नीति, नियम या कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।

3.2. आचार संहिता

हमारी आचार संहिता में बच्चों के साथ और उनके आस-पास के वातावरण में व्यवहार के नियमों के बारे में बताया गया है। आचार संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि JAG में कार्यरत सभी लोग बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए योग्य और प्रतिबद्धित हों। यह ज़रूरी है कि JAG में कार्यरत सभी लोग इस नीति और आचार संहिता को अपनाएँ और आवश्यक घोषणापत्र पर साइन करके इनके बारे में अपनी समझ की पुष्टि करें।

हम JAG में कार्यरत सभी लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि वे अपनी भूमिका के अनुसार बच्चों के अधिकारों की जानकारी रखते हैं और वे इस जानकारी का इस्तेमाल बच्चों के साथ और उनकी ओर से व्यवहार संबंधी निर्णय लेने में करते हैं।

हम हर बच्चे को अलग समझेंगे और उनकी विशिष्ट क्षमताओं एवं विचारों का सम्मान करेंगे। कृपया कर्मचारी आचार संहिता और बच्चों के साथ सकारात्मक बातचीत नीति भी देखें।

3.3. अनुचित आचरण

राष्ट्रीय क़ानून के तहत, JAG केयर या JAG के वातावरण में किसी भी बच्चे या युवा व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार करना अपराध है। अनुचित व्यवहार में ये शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- व्यावसायिक मानकों की पालना न करना
- भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, या शारीरिक नुकसान पहुँचाने वाला या पहुँचाने की संभावना पैदा करने वाला व्यवहार
- या हिंसक या यौन अर्थ रखने वाला व्यवहार

कोई व्यवहार अनुचित है या नहीं, इसका निर्णय लेते समय बच्चे या युवा व्यक्ति की उम्र और विकास की अवस्था को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। कोई भी बच्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित व्यवहार का शिकार हो सकता है, इस प्रकार के व्यवहार में ये शामिल हैं: बच्चों या युवा व्यक्ति के साथ हिंसक या उनकी उम्र या विकास की अवस्था के अनुसार अनुचित शारीरिक संपर्क बनाना

- बच्चों के साथ अनुचित रूप से किया गया मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संवाद या बातचीत – इसमें बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से या उनकी उपस्थिति में की गई बातचीत शामिल है
- टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अनुचित रूप से फिल्मिंग, रिकॉर्डिंग या दस्तावेज बनाना
- ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ अनुचित रूप से बातचीत करना
- बार-बार किए गए अनुचित अनचाहे कार्य या व्यवहार

यह आवश्यक है कि JAG केयर या JAG के वातावरण में बच्चों या युवाओं के विरुद्ध या उनकी उपस्थिति में अनुचित अनुशासन का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अनुचित अनुशासन से अर्थ है किसी भी तरह की शारीरिक सज़ा या ऐसा अनुशासन जो परिस्थिति के मुताबिक गलत हो, जैसे:

- किसी बच्चे या युवा व्यक्ति के व्यवहार को सुधारने के लिए उठाए गए अनुचित कदम। सज़ा के साथ जुड़ी कार्रवाई और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए हानिकारक कदम
- अनुशासन की स्थिति में नुकसान पहुँचाने, सज़ा देने या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अनुचित भाषा या बातचीत के तरीकों का इस्तेमाल

- अनुशासन की स्थिति में नुकसान पहुँचाने, सज़ा देने या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए - बुनियादी ज़रूरतों जैसे कुछ खाने या पीने नहीं देना या इससे वंचित करना

3.4. ग्रूमिंग (शोषण के लिए तैयार करना) और सीमा का उल्लंघन

नीचे कुछ पहचान किए गए ग्रूमिंग (शोषण के लिए तैयार करने) से सम्बन्धित जोखिम भरे व्यवहारों के बारे में बताया गया है, इनकी रिपोर्ट ऐसे मामलों में भी किए जाने की आवश्यकता है जहाँ इनका मकसद अस्पष्ट है:

- बहुत ज़्यादा निजी बातें (बड़ों की परेशानियाँ यां, रिश्तों की समस्याएँ, तनाव, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि) साझा करना
- बच्चे की सहमति के बिना शारीरिक संपर्क बनाना (गले लगाना, गोद में बैठाना, हाथ सहलाना, बाल छूना)
- कुछ चुनिंदा बच्चों को गिफ़्ट, खाने की चीज़ें या इनाम देना
- कुछ "खास" रिश्ते बनाना या पक्षपात करना
- कर्मचारियों और बच्चों के बीच गोपनीयता को बढ़ावा देना ("इस बारे में अपनी माँ को मत बताना)
- किसी बच्चे को अन्य बच्चों से अलग करना, निजी रूप से मैसेज भेजना, गुप्त रूप से बातचीत करना

किसी भी ऐसे व्यवहार को सुरक्षा संबंधी चिंता माने जाने की आवश्यकता है जिससे बच्चा असहज, भ्रमित, असुरक्षित या अकेला महसूस करता है - फिर चाहे इसका कोई स्पष्ट मकसद साबित न हुआ हो।

यदि आपको इस बारे में सूचित या सतर्क किया जाता है, या आप जानते हैं कि कोई कर्मचारी बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से या उनकी उपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग या वर्चुअल संवाद या बातचीत में शामिल है - - तो इसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र अपने सुपरवाइजर या नेशनल सेफ़गार्डिंग को किए जाने की आवश्यकता है।

3.5. शिकायतें, चिंताएँ या आरोप

हम बच्चों और/या उनके अभिभावकों/देखभालकर्ताओं और/या हमारे स्कूल पार्टनर्स द्वारा व्यक्त की गई किसी भी शिकायत, चिंता या आरोपों को गंभीरता से लेंगे।

हम JAG में कार्यरत किसी भी व्यक्ति, जिसमें बोर्ड के सदस्य, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, मैनेजमेंट, शिक्षक, कॉन्ट्रैक्टर या वॉलंटियर शामिल हैं, के विरुद्ध की गई सभी बच्चों की सुरक्षा (बाल संरक्षण) संबंधी शिकायतों, चिंताओं या आरोपों की जाँच करेंगे।

हम JAG में कार्यरत सभी लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि वे बच्चों या उनके अभिभावकों/देखभालकर्ताओं या हमारे स्कूल पार्टनर्स की किसी भी चिंता के जवाब में बेझिझक घटना प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करेंगे।

हमारी गतिविधियों में किसी दूसरे बच्चे के विरुद्ध लगाए गए आरोप को संवेदनशीलता, गोपनीयता और जोखिम में पड़े सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी से जाँचा जाएगा।

3.6. जाँच

यदि JAG में कार्यरत किसी व्यक्ति पर रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी आरोप, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अवहेलना या शोषण का आरोप लगता है, तो इसकी जाँच हमेशा पूरी तरह से और उचित गोपनीयता के साथ की जाएगी। सभी परिस्थितियों में, आरोप के विषय की समीक्षा की जाएगी और जाँच से समाधान मिलने तक स्टैंड डाउन प्रक्रिया के अनुसार जोखिम का आकलन किया जाएगा।

यदि आप इन चीजों को देखते हैं या आपको इनके बारे में पता चलता है:
- चिंता या संदेह – इसमें ग्रूमिंग (शोषण के लिए तैयार करनी) के संकेत, सीमा का उल्लंघन, असहज व्यवहार शामिल हैं
- ऐसा व्यवहार जो रिपोर्ट करने लायक हो सकता है (शारीरिक हानि, लापरवाही, मानसिक हानि, यौन दुर्व्यवहार)
- किसी बच्चे को संभावित या वास्तविक नुकसान
- कोई सहकर्मी किसी मामले की रिपोर्ट नहीं करता है या "सारी चिंताओं के बारे में नहीं बताता है"

आपको इन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता है:

- अपने डायरेक्ट मैनेजर, सर्विस कोऑर्डिनेटर या,
- सर्विस मैनेजर, रीजनल मैनेजर और/या किसी नामित बाल सुरक्षा अधिकारी को
- विनियामक प्राधिकरण को यथाशीघ्र रिपोर्ट, घटना के 24 घंटे के अंदर या घटना के बारे में पता चलने के 24 घंटे के अंदर जमा करने की आवश्यकता है।
- घटना की जाँच इस बात को ध्यान में रखते हुए किए जाने की आवश्यकता है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें सूचित किया जा सके:
    - संबंधित राज्य बाल संरक्षण सेवा और/या अनिवार्य रिपोर्टर दायित्व
    - संबंधित राज्य रिपोर्ट करने योग्य आचरण योजना प्राधिकरण
    - पुलिस, यदि घटना आपराधिक हो या ऐसा शक हो।

हम बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के संबंध में पुलिस या राज्य/क्षेत्र की विनियामक प्राधिकरण की किसी भी औपचारिक जाँच में हर परिस्थिति में पूरा सहयोग देंगे।
आवश्यकता पड़ने पर, हम जाँच में बच्चों और युवाओं को भी शामिल करेंगे। इससे बच्चों को यह पता चलता है कि उनके विचारों को महत्व दिया जाता है और उनकी बात सुनी जाएगी। जब बच्चों और युवाओं को शामिल होने के अवसर मिलते हैं और वे यह महसूस करते हैं कि उनके विचारों को महत्व दिया जाता है, तो वे अपने विचार खुलकर सामने रखते हैं। आवश्यकता होने पर, ये इंटरव्यू किसी उचित योग्य फैसिलिटेटर द्वारा किए जाएँगे।

3.7. रिपोर्टिंग

हम JAG में कार्यरत सभी लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हर राज्य और टेरिटरी में बच्चों के साथ वास्तविक या संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार, अवहेलना, शोषण और/या पारिवारिक हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए प्रासंगिक कानूनों को जानें और उनका पालन करें। *वैधानिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की सूची देखने के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें, जिसमें ये शामिल हो सकते हैं*

- अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ
- रिपोर्ट करने योग्य आचरण आवश्यकताएँ
- वैधानिक बाल संरक्षण आवश्यकताएँ

कानून के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों के बावजूद, हम JAG में कार्यरत सभी लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि वे बच्चों के कल्याण या सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता पर उचित कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित करेंगे।

जाँच प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट जानकारी और निरंतर सहायता देने के लिए सुरक्षा प्रतिक्रिया टीम (सेफ़गार्डिंग रिस्पॉन्स टीम) बनाई जाएगी।

JAG गोपनीयता नीति के तहत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के साथ जानकारी साझा करने से पहले संबंधित बच्चों और/या अभिभावक/संरक्षक की सहमति लेना ज़रूरी है। लेकिन, यदि हमें किसी विशिष्ट बच्चे की सुरक्षा या कल्याण को लेकर चिंता है, तो हम पुलिस, किसी विनियामक प्राधिकरण या कानूनी बाल संरक्षण एजेंसी को जानकारी देने के लिए सहमति नहीं माँग सकते।
और अधिक जानकारी और विवरणों के लिए कृपया 07P014 रिपोर्ट करने योग्य आचरण देखें।

3.8. भर्ती और स्क्रीनिंग

JAG की सभी भर्ती प्रक्रिया में, JAG की सभी बच्चों के लिए सुरक्षा और कल्याण की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से झलकेगी।

JAG में शामिल होने वाले सभी लोगों को उनकी भर्ती के दौरान और उनके रोज़गार अनुबंध के हिस्से के तौर पर यह बताया जाएगा कि उनका रोज़गार, बच्चों के साथ काम करने के लिए संबंधित राज्य/टेरिटरी की योग्यता जाँच (वर्किंग विद चिल्ड्रन स्क्रीनिंग चेक), नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक और उचित प्रोफेशनल रेफरी चेक के नतीजों पर निर्भर करता है, जिसमें विशिष्ट बच्चों की सुरक्षा (बाल संरक्षण) और कल्याण संबंधी प्रश्न भी शामिल हैं।

यदि किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा आरोप लगा हो या उसे दोषी ठहराया गया हो, जिससे वह बच्चों के साथ काम करने की मंज़ूरी (या इसके बराबर) पाने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है और फिर भी वह बच्चों के साथ काम करना जारी रखता है, तो यह इस नीति का गंभीर उल्लंघन है।

हम JAG में कार्यरत लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि वे यह समझेंगे कि हमारे संगठन में उनका रोज़गार इन सतत और निरंतर स्क्रीनिंग आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

भर्ती प्रक्रिया के तहत, उम्मीदवारों को ये औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं:

- हमारे आवेदक ट्रैकिंग सिस्टम, SmartRecruiters के माध्यम से लिखित आवेदन जमा करना
- प्रारंभिक व्यवहारिक आकलन के लिए टेक्स्ट-बेस्ड AI चैट इंटरव्यू
- प्रत्येक उम्मीदवार की उपयुक्तता आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए JAG टैलेंट एक्विजिशन विशेषज्ञ के साथ टेलीफोन स्क्रीनिंग
- बाल-सुरक्षा सिद्धांतों द्वारा निर्देशित संरचित औपचारिक इंटरव्यू, व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने बैठकर या ऑनलाइन

बैकग्राउंड चेक, जिसमें शामिल हैं:

- नेशनल पुलिस चेक
- राज्य/टेरिटरी विशिष्ट वर्किंग विद चिल्ड्रन जाँच (WWCC/WWVP/Blue Card)
- ACECQA द्वारा भूमिका के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताओं की जाँच
- Referoo के माध्यम से रोज़गार संबंधी दो रेफरेंस चेक
- लोग और क्षमता (People & Capability) दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा और
- उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित JAG में बच्चों और युवाओं की सुरक्षा संबंधी घोषणापत्र
- फ़ाउंडेशन ऑफ़ चाइल्ड सेफ़्टी की अनिवार्य ट्रेनिंग पूरा करने की पुष्टि करना।

3.9. ट्रेनिंग, सहायता और जागरूकता

JAG में कार्यरत सभी लोगों को ट्रेनिंग, सहायता और जागरूकता संसाधन दिए जाएँगे, ताकि वे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अवहेलना, शोषण और/या पारिवारिक हिंसा के संकेतों को समझ सकें और उचित एवं प्रभावशाली कार्रवाई के लिए आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस कर सकें।

हम मानते हैं कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के संकेतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमेशा नई जानकारी सामने आती रहेगी और बच्चों की देखभाल/सेवाएँ देने वाले कामों में अंतर्निहित जटिलता शामिल होती है। इसलिए, बच्चों की सुरक्षा (बाल संरक्षण) के संबंध में JAG में कार्यरत लोगों के लिए, कम से कम, सालाना अपडेटेड ट्रेनिंग और/या प्रोफेशनल डेवलपमेंट पूरा करना ज़रूरी होगा।

JAG में कार्यरत सभी लोगों को राष्ट्रीय और राज्य विनियामक प्राधिकरण (नेशनल एंड स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) की अनिवार्य सालाना सेफ़गार्डिंग ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, जिसमें अनिवार्य बाल सुरक्षा ट्रेनिंग (Mandatory Child Safety Training) शामिल है।

JAG में सभी लोगों को ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान JAG Academy से अनुमोदित चाइल्ड सेफ़गार्डिंग, और JAG Academy के माध्यम से सालाना चाइल्ड सेफ़गार्डिंग ट्रेनिंग पूरी करने की जरूरत होती है।

JAG में बाल दुर्व्यवहार की गंभीर घटनाओं से निपटने वाले लोगों को उचित डीब्रीफिंग और कर्मचारी सहायता समर्थन दिया जाएगा।

3.10 वातावरण

हम सभी बच्चों के लिए न्यायपूर्ण, स्वागतयोग्य, समावेशी, मनोरंजक और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्धित हैं। हमारे वातावरण में बच्चों की विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं को पहचाना जाएगा और उनका ध्यान रखा जाएगा।

हम मिलान के लिए प्रतिबद्धित हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी कार्य संस्कृति एवं पहचान का सम्मान करते हुए एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों के लिए सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, स्वागतयोग्य, समावेशी और मनोरंजक वातावरण बनाते हैं।

प्रत्येक वह जगह और गतिविधि जिसमें हम कार्यरत हैं, उसका उचित जोखिम आकलन किया जाएगा।

हम साइबर-धमकियों, तस्वीर-आधारित दुर्व्यवहार और गैर-कानूनी या प्रतिबंधित सामग्री के प्रभाव से बच्चों को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए सक्रिय रहने के लिए प्रतिबद्धित हैं। हम अपनी डिजिटल दुनिया में ई-सेफ्टी के महत्व को मानते हैं। कृपया हमारी टेक्नोलॉजी, उपकरण और इंटरनेट उपयोग नीति को देखें।

हम बच्चों और परिवारों के जीवन में संस्कृति, धर्म और विश्वासों के महत्व को समझते हैं और हम सम्मानजनक एवं समावेशी वातावरण देंगे। लेकिन, कोई भी सांस्कृतिक, धार्मिक या विशिष्ट विश्वास वाला व्यवहार, किसी भी बच्चे को नुकसान से बचाने के उसके अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

3.11 ई-सेफ्टी और तस्वीरों एवं व्यक्तिगत उपकरणों का इस्तेमाल

JAG में बच्चों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल प्रदान करते समय बच्चों की तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए राष्ट्रीय आदर्श संहिता (नेशनल मॉडल कोड) के सिद्धांतों को पालन किया जाता है।

सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों और सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने के लिए:

- किसी भी प्रोग्राम या गतिविधि के दौरान बच्चों की तस्वीरें या वीडियो लेने के लिए केवल सर्विस से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाता है।
- यह आवश्यक है कि बच्चों की देखभाल करते समय या उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करते समय व्यक्तिगत उपकरणों (जैसे, फ़ोन, स्मार्टवॉच, USB) का इस्तेमाल नहीं किया जाए या उन्हें साथ में नहीं रखा जाए, जब तक कि ज़रूरी कामों (जैसे, आपातकालीन संचार, मेडिकल ज़रूरत) के लिए लिखित रूप में लिखकर आज्ञा न दी गई हो।
- सभी तस्वीरों और वीडियो को JAG टेक्नोलॉजी, उपकरण और इंटरनेट इस्तेमाल संबंधी नीति और गोपनीयता नीति के अनुसार संग्रहीत और प्रबंधित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित हैं और उनका इस्तेमाल केवल अनुमोदित और वैध कामों के लिए ही किया जाता है।
- ये तरीके हमारे व्यापक सुरक्षा उपायों का हिस्सा हैं और सभी जगहों पर सुरक्षित, सम्मानजनक और बच्चों पर ध्यान देने वाले वातावरण को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

3.12 समीक्षा और सतत सुधार

हम मानते हैं कि दुनिया में तेज़ी से बदलाव होते रहते हैं और लगातार समीक्षा, सुधार और सीखने की ज़रूरत होती है। हम बच्चों की सुरक्षा और कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी क्षमता की नियमित रूप से समीक्षा और जाँच करेंगे, ताकि हम अपने सामर्थ्य और सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकें।

हमारी सीख JAG के लोगों, बच्चों, परिवारों और उन स्कूल समुदायों के साथ साझा की जाएगी जहाँ हम कार्यरत हैं। हम अपने लोगों, बच्चों, परिवारों और स्कूल समुदायों के साथ बच्चों की सुरक्षा (बाल संरक्षण) और कल्याण के क्षेत्र में अपने सामर्थ्य और सुधार पर लगातार विचार-विमर्श करेंगे।

JAG अपने परिवारों, बच्चों, कर्मचारियों और विशिष्ट हितधारकों से सर्वे, फीडबैक चैनल, सर्विस संबंधी विचार-विमर्श और परामर्श सहित संरचित सहभागिता प्रक्रियाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से फीडबैक लेगा। इस फ़ीडबैक को हमारे संगठन की सेफ़गार्डिंग नीतियों, प्रक्रियाओं और तरीकों के विकास, आकलन और निरंतर सुधार के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

व्यावसायिक तरीकों में बच्चों की सुरक्षा (बाल संरक्षण) और कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें व्यावसायिक योजना और बजट भी शामिल है। इस नीति की समीक्षा कम से कम हर साल की जाएगी।

JAG की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम कम से कम हर साल बच्चों और युवाओं की सुरक्षा संबंधी नीति की समीक्षा करती है और उसे स्वीकृति देती है।

4 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

भूमिका	जिम्मेदारियाँ
टीम के सदस्य	• अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • सेवा स्तर पर बच्चों के लिए सुरक्षात्मक व्यवहार, सामग्री और शिक्षण का समर्थन करते हैं।

	• बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी किसी भी चिंता या समस्या की रिपोर्ट करते हैं। • किसी सहकर्मी, साथी या साइट पर मौजूद किसी वयस्क से जुड़े आरोपों, चिंताओं या प्रश्नों के बारे में सर्विस लीडर्स या लाइन मैनेजर्स को बताते/सूचित करते हैं।
सर्विस लीडर	• अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • सेवा स्तर पर बच्चों के लिए सुरक्षात्मक व्यवहार, सामग्री और शिक्षण का समर्थन करते हैं। • आवश्यकता पड़ने पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में शिक्षकों की मदद करते हैं। • बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों को रिकॉर्ड करते हैं और RM को रिपोर्ट करते हैं। इसमें सहकर्मियों या साइट पर अन्य वयस्कों से जुड़ी चिंताएँ या आरोप शामिल हैं।
रीजनल मैनेजर (RM)	• अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • बाल संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े किसी भी रिपोर्ट योग्य व्यवहार, घटना, शिकायत या खुलासे के मामले में प्रथम उत्तरदाता की सहायता करते हैं। • सभी सेवाओं और शिक्षकों के लिए निरंतर ट्रेनिंग, समीक्षा और सहायता सुनिश्चित करते हैं। • एजेंसी के भीतर प्रासंगिक रोजगार कार्यवाही करते हैं। • सेवा स्तर पर प्रभावित पार्टियों के साथ आवश्यक इंटरव्यू और मीटिंग करने और दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सेवा और एजेंसी स्टाफ के मध्य जानकारी साझा किए जाना सुनिश्चित करते हैं।
रीजनल डायरेक्टर्स (RD)	• रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी योजना की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • बच्चों की सुरक्षा के बढ़ते मामलों से निपटने में ज़रूरत पड़ने पर राज्य की सहायता करते हैं। • एजेंसी के उन ग्राहकों के लिए संपर्क व्यक्ति के तौर पर कार्य करते है जो एजेंसी द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी या व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की रिपोर्ट करना चाहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, RMs को काम सौंपते हैं। • घटना प्रबंधन प्रक्रिया में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार NSL, SGM, मुख्य एग्जीक्यूटिव टीम को सूचनाएँ और अतिरिक्त जानकारी देते हैं। • RM को सहायता प्रदान करना और आवश्यकता होने पर अपडेट के लिए अनुरोध करते हैं। • औपचारिक जाँच पूरी होने पर, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, उसके लिए सबसे उचित और बच्चों को ध्यान में रखकर कार्रवाई के तरीके की समीक्षा करते है और उसका दस्तावेज़ीकरण करते हैं।
नेशनल सेफगार्डिंग लीड	• रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी योजना की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो)

	• अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • सर्विस डिलीवरी लीडरशिप टीम से सहायता और अपडेट के लिए अनुरोध करते हैं। • औपचारिक रिपोर्टिंग के लिए मुख्य व्यक्ति के तौर पर कार्य करते हैं और उपयुक्त राज्य प्राधिकरण को रिपोर्ट जमा करते हैं • - प्रारंभिक जोखिम आकलन करते हैं • - राज्य-आधारित रिपोर्ट करने योग्य व्यवहार की ज़रूरतों का पालन किया जाना सुनिश्चित करते हैं • औपचारिक जाँच पूरी होने पर, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, उसके लिए सबसे उचित और बच्चों को ध्यान में रखकर कार्रवाई के तरीके की समीक्षा करते है और उसका दस्तावेज़ीकरण करते हैं। • जाँच प्रक्रिया के राज्य अधिकारियों को अपडेट करते हैं। • रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी योजना की घटनाओं के लिए सेंट्रल डेटाबेस बनाए रखते हैं • रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी योजना के स्टेटस के बारे में हर महीने HOE को अपडेट करते हैं
स्टेट जनरल मैनेजर (SGM)	• रिपोर्ट करने योग्य आचरण संबंधी योजना की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • बच्चों की सुरक्षा के बढ़ते मामलों से निपटने में ज़रूरत पड़ने पर राज्य की सहायता करते हैं। • एजेंसी के उन ग्राहकों के लिए संपर्क व्यक्ति के तौर पर कार्य करते है जो ज़रूरत पड़ने पर एजेंसी डेलीगेट द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी या व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की रिपोर्ट RDs को करना चाहते हैं। • औपचारिक जाँच पूरी होने पर, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, उसके लिए सबसे उचित और बच्चों को ध्यान में रखकर कार्रवाई के तरीके की समीक्षा करते है और उसका दस्तावेज़ीकरण करते हैं।
सहायता कार्यालय	• अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • सेवा स्तर पर बच्चों के लिए सुरक्षात्मक व्यवहार, सामग्री और शिक्षण का समर्थन करता है । • बच्चों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों को रिकॉर्ड करते हैं और RM/SC/RD/SGM को रिपोर्ट करता है । इसमें सहकर्मियों या साइट पर अन्य वयस्कों से जुड़ी चिंताएँ या आरोप शामिल हैं।
अनुपालन टीम	• अनिवार्य रिपोर्टर की सभी ज़िम्मेदारियाँ निभाती है (यदि राज्य या टेरिटरी के लिए आवश्यक हो) • बच्चों की सुरक्षा के बढ़ते मामलों से निपटने में ज़रूरत पड़ने पर राज्य की सहायता करती है ।

	• एजेंसी के उन ग्राहकों के लिए संपर्क व्यक्ति के तौर पर कार्य करती है जो एजेंसी के किसी कर्मचारी या व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की रिपोर्ट करना चाहते हैं।

4 मुख्य शब्द

शब्द	अर्थ
बच्चा	अठारह वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति
Junior Adventures Group (JAG)	Junior Adventures Group ऑस्ट्रेलिया में OSHClub, Helping Hands Network और Primary OSH Care ब्रांड्स का मूल (पेरेंट) संगठन है। JAG की सभी नीतियाँ इन ब्रांड्स में भी लागू होती हैं।
JAG में कार्यरत लोग	कोई भी ऐसा वयस्क जो संगठनात्मक संरचना के किसी भी स्तर पर, वैतनिक या अवैतनिक क्षमता में, JAG को नियंत्रित करता है, प्रबंधित करता है, उसमें काम करता है, या गतिविधियाँ और/या सेवाएँ प्रदान करता है।
अभिभावक/संरक्षक	कोई भी ऐसा वयस्क जो बच्चे की देखभाल के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेदार हो, यह ज़िम्मेदारी जन्म या कानूनी समझौते के कारण हो सकती है।
आचार संहिता	JAG में कार्यरत सभी लोगों के लिए व्यवहार और उचित आचरण के नियमों का पालन करने के लिए किया गया अनुबंध, जिसमें व्यवहार की ज़िम्मेदारियों और दायित्वों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है।
बच्चों को हानि	बच्चे की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक सेहत पर किसी भी प्रकार का नुकसानदेह असर
बाल दुर्व्यवहार	ज़िम्मेदारी, विश्वास या ताकत के रिश्ते के संदर्भ में घटित किसी भी प्रकार का शारीरिक और/या भावनात्मक दुराचार, यौन दुर्व्यवहार, अवहेलना या लापरवाही भरा बर्ताव या व्यावसायिक या अन्य शोषण जिसके परिणामस्वरूप बच्चे की सेहत, अस्तित्व, विकास या सम्मान को वास्तविक या संभावित नुकसान होता है।[1] हर तरह के दुर्व्यवहार की परिभाषा इस प्रकार है
बाल दुर्व्यवहार: *शारीरिक दुर्व्यवहार*	किसी बच्चे के साथ जानबूझकर शारीरिक बल का इस्तेमाल किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे के स्वास्थ्य, अस्तित्व, विकास या सम्मान को नुकसान होता है या नुकसान होने की बहुत अधिक संभावना होती है। इसमें मारना, पीटना, लात मारना, धक्का देना, काटना, गला दबाना, जलाना, झुलसाना, जहर देना और दम घोंटना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्राधिकारों में, बच्चों और युवाओं को शारीरिक दुर्व्यवहार से बचाने के लिए नागरिक बाल संरक्षण कानून मौजूद हैं।
बाल दुर्व्यवहार: *भावनात्मक दुर्व्यवहार*	भावनात्मक दुर्व्यवहार को कभी-कभार 'भावनात्मक दुराचार', 'मनोवैज्ञानिक दुराचार' और 'मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार' भी कहा जाता है। भावनात्मक दुर्व्यवहार तब होता है जब अभिभावक या देखभालकर्ता बच्चे के साथ अनुचित बातें या इशारे करते हैं और/या समय के साथ बच्चे को ठीक से गैर-शारीरिक देखभाल और भावनात्मक उपलब्धता नहीं दे पाते हैं। इस तरह के जानबूझकर किए गए

शब्द	अर्थ
	या न किए गए कार्यों से बच्चे के आत्म-सम्मान या सामाजिक क्षमता को नुकसान होने की संभावना होती है। इसमें अस्वीकार करना, अलगाव, आतंकित करना, अनदेखा करना, भ्रष्ट करना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्राधिकारों में, भावनात्मक दुर्व्यवहार को 'जब बच्चे को सुरक्षा की ज़रूरत हो' का आधार माना जाता है
बाल दुर्व्यवहार: *यौन दुर्व्यवहार*	किसी बच्चे का ऐसी यौन गतिविधि में शामिल होना जिसके बारे में उसे पूरी तरह से पता न हो, जिसके लिए वह अपनी सहमति देने में असमर्थ हो, या जिसके लिए वह विकासात्मक रूप से तैयार नहीं है, या जो समाज के कानूनों या सामाजिक पाबंदियों का उल्लंघन करता हो। इसमें ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार भी शामिल है। बच्चों का यौन दुर्व्यवहार वयस्कों और दूसरे बच्चों द्वारा हो सकता है, जो अपनी उम्र या विकासात्मक अवस्था की वजह से पीड़ित पर ज़िम्मेदारी, विश्वास या ताकत की उच्च स्थिति में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्राधिकारों में, यौन दुर्व्यवहार को 'जब बच्चे को सुरक्षा की ज़रूरत हो' का आधार माना जाता है
बच्चों की अवहेलना	अवहेलना में एकाकी घटनाएँ और साथ ही ऐसे मामले शामिल हैं जहाँ अभिभावक स्वास्थ्य, शिक्षा, भावनात्मक विकास, पोषण, आश्रय और सुरक्षित जीवन में से किसी एक या अधिक में बच्चे को विकास और कल्याण के अवसर देने की स्थिति में होते हैं, लेकिन वे या परिवार के किसी अन्य सदस्य समय के साथ बच्चे को इसे देने में बार-बार विफल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्राधिकारों में, अवहेलना को 'जब बच्चे को सुरक्षा की ज़रूरत हो' का आधार माना जाता है
बाल शोषण	बाल यौन शोषण में ये शामिल हैं: • बाल शोषण सामग्री का उत्पादन और वितरण • वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों का शोषण किया जाना (जिसे कभी-कभार बाल वेश्यावृत्ति भी कहा जाता है), इसमें बच्चे को, या अक्सर किसी तीसरे व्यक्ति को, पैसे, खाना, कपड़े, रहने की जगह या ड्रग्स देने का वादा किया जा सकता है, लेकिन बदले में बच्चे का यौन शोषण किया जाता है। • यौन शोषण के उद्देश्य से बच्चों का अपहरण और तस्करी किया जाना, यह देश के अंदर या देश के बाहर हो सकती है। • पर्यटन के संदर्भ में बच्चों का यौन शोषण किया जाना (इसे कभी-कभार बाल यौन पर्यटन भी कहा जाता है) जहां व्यक्ति (आम तौर पर वेस्टर्न पुरुष) बच्चों का यौन शोषण करने के उद्देश्य से उच्च आय वाले देशों से निम्न आय वाले देशों में आते हैं (Cameron et al., 2015; Luxembourg में Interagency Working ग्रुप, 2016;Johnson, 2014)। ऑस्ट्रेलिया में, विभिन्न राज्यों और टेरिटरीज के अपने विशिष्ट कानून हैं, जो बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक यौन शोषण को अपराध मानते हैं।
पारिवारिक हिंसा के संपर्क में आना	किसी बच्चे को ऐसे वातावरण में रहने के लिए विवश करना, जहाँ प्राथमिक देखभालकर्ता स्वयं लगातार हिंसा का सामना करता है, अपने आप में भावनात्मक और

शब्द	अर्थ
	मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार है। जिन बच्चों को हिंसा भरे वातावरण में रहने के लिए विवश किया जाता है, उनके शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार का जोखिम अधिक हो जाता है। ऐसे बच्चे अपने मनोसामाजिक कल्याण में काफी मुश्किलों का सामना करते हैं, और अक्सर उनमें शोषित या नज़रअंदाज़ किए गए बच्चों जैसे ही लक्षण दिखते हैं।[2] ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्राधिकारों में पारिवारिक हिंसा के संपर्क में आने संबंधी मामलों को 'जब बच्चे को सुरक्षा की ज़रूरत हो' का आधार माना जाता है
बाल दुर्व्यवहार: अन्य	शोधकर्ताओं ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और अवहेलना के पाँच मुख्य उपप्रकारों की पहचान की है, जो इस प्रकार हैं: • भ्रूण दुर्व्यवहार (जैसे, अजन्मे बच्चे जिन्हें माँ के ड्रग्स या शराब लेने की वजह से नुकसान हुआ है या नुकसान होने का जोखिम है) • सामुदायिक हिंसा के संपर्क में आना • संस्था-संबंधी दुर्व्यवहार (जैसे फॉस्टर होम, ग्रुप होम, और धार्मिक और स्पोर्टिंग ग्रुप जैसी संस्थाओं में होने वाला दुर्व्यवहार) • राज्य स्वीकृत दुर्व्यवहार (जैसे अफ्रीका के कुछ हिस्सों में महिला जननांग विकृति, स्टोलन जेनेरशन इन ऑस्ट्रेलिया (the Stolen Generations in Australia)
अनिवार्य रिपोर्टिंग	अनिवार्य रिपोर्टिंग का अर्थ है साक्ष्य या संदिग्ध दुर्व्यवहार और अवहेलना की रिपोर्ट करने की आवश्यकता। अनिवार्य रिपोर्टिंग कानूनों का उद्देश्य बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और अवहेलना के मामलों की पहचान करना और इन मामलों में हर बच्चे की मदद करना है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और अवहेलना के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों को किए जाना कानूनी जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में, 1969 में पहला कानून साउथ ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित किया गया था, और तब से ये कानून ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्राधिकारों में लागू हो गए हैं। हालाँकि, सभी अधिकार क्षेत्रों में कानून एक समान नहीं हैं। इस बारे में कुछ अंतर है कि किसे रिपोर्ट करना है, किस तरह के दुर्व्यवहार और अवहेलना की रिपोर्ट करनी है, 'मन की स्थिति' जो रिपोर्टिंग के कर्तव्यों को सक्रिय बनाती है (यानी उचित आधार पर चिंता, शक या विश्वास होना) और रिपोर्ट किसे करनी है। अनिवार्य रिपोर्टिंग कानून के तहत आम तौर पर उन विशिष्ट व्यवसायों की सूची बताई जाती है जिन्हें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और अवहेलना के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। जिन लोगों के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य है, उनमें सीमित संख्या में व्यवसायों में लगे व्यक्तियों (QLD) से लेकर अधिक विस्तृत सूची (VIC और WA), बहुत अधिक विस्तृत सूची(ACT, NSW, SA और TAS) से लेकर प्रत्येक व्यस्क (NT) तक शामिल हैं। अनिवार्य रिपोर्टर कहे जाने वाले सबसे आम व्यवसायों में वे व्यवसाय

शब्द	अर्थ
	शामिल हैं जहाँ कार्य के समय अक्सर बच्चों के साथ पेश आया जाता है जैसे: अध्यापक, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और केयर प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, नर्स और पुलिस।
रिपोर्ट करने योग्य आचरण	राज्य-सरकारों ने स्वतंत्र विनियामक प्रणालियाँ बनाई हैं जो बच्चों से जुड़े दुर्व्यवहार के उन आरोपों का निरीक्षण और जाँच करती है जिनमें कोई स्टाफ़ सदस्य शामिल होता है। रिपोर्ट करने योग्य व्यवहार में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या बच्चों के प्रति दुराचरण के आरोप या दोषसिद्धि शामिल हैं। संगठनों को किसी कर्मचारी या वॉलंटियर द्वारा रिपोर्ट करने योग्य व्यवहार संबंधी आरोपों की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसमें ये शामिल हैं: • किसी बच्चे के साथ बुरा बर्ताव (जैसे भावनात्मक दुर्व्यवहार या बल का इस्तेमाल) • अवहेलना • मनोवैज्ञानिक हानि • यौन प्रकृति का दुराचार • यौन या शारीरिक अपराध और दोषसिद्धि के ऐसे मामलें जिसमे कोई बच्चा पीड़ित या उपस्थित होता है • अनुचित अनुशासन या बच्चों को हानि से न बचाना। हर राज्य/टेरिटरी में रिपोर्ट करने के लिए ज़रूरी संगठन अलग-अलग हैं
सेफ़गार्डिंग (संरक्षण)	बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए उठाए गए कदमों को सेफ़गार्डिंग कहा जाता है। सेफ़गार्डिंग का अर्थ है: बच्चों को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और दुराचार से बचाना। बच्चों के स्वास्थ्य या विकास को होने वाले नुकसान को रोकना।

4 संदर्भ:

शिक्षा और देखभाल सेवाएँ राष्ट्रीय कानून और विनियम	
धारा 165 – बच्चों की अक्षमतापूर्वक देखरेख संबंधित अपराध	
धारा 166 – अनुचित अनुशासन के इस्तेमाल संबंधित अपराध	
धारा 167 – बच्चों को हानि और खतरे से संरक्षण संबंधित अपराध	
विनियमन 82 – तंबाकू, नशीली दवाओं और शराब- मुक्त वातावरण	
विनियमन 84 – बाल सुरक्षा कानून के बारे में जागरूकता	
विनियमन 103 – परिसर, फर्नीचर और उपकरणों का सुरक्षित, साफ और अच्छी हालत में होना	
विनियमन 168 – शिक्षा और देखभाल सेवाओं में नीतियाँ और प्रक्रियाएँ होने की आवश्यकता है	
विनियमन 170 – पालन की जाने वाली नीतियाँ और प्रक्रियाएँ	
अन्य प्रासंगिक कानून	
ACT	बच्चों और युवा लोगों के लिए अधिनियम 2008 – *इसमें ज़रूरी रिपोर्टिंग के नियम शामिल हैं*
	वर्किंग विद वल्नरेबल पीपल अधिनियम 2011
	मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2005
	अपराध (बाल यौन अपराधी) अधिनियम 2005
	पारिवारिक हिंसा अधिनियम 2016
	लोकपाल (ओम्बड्समैन) अधिनियम 1989 – *इसमें रिपोर्ट करने योग्य आचरण प्रावधान शामिल हैं*
NSW	बच्चों और युवा व्यक्तियों (देखभाल और संरक्षण) के लिए अधिनियम 1998– *इसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान शामिल हैं*

	बाल संरक्षक अधिनियम 2019 – *इसमें रिपोर्ट करने योग्य आचरण प्रावधान शामिल हैं*
	भेदभाव विरोधी अधिनियम 1977
	बच्चों (आपराधिक कार्यवाही) के लिए अधिनियम 1987
	बाल संरक्षण अधिनियम 2000
QLD	बाल संरक्षण अधिनियम 1999 – *इसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान शामिल हैं*
	मानवाधिकार अधिनियम 2019
	घरेलू और पारिवारिक हिंसा संरक्षण अधिनियम 2012
	परिवार और बाल आयोग अधिनियम 2014
	बाल रोजगार अधिनियम 2006
	पब्लिक संरक्षक अधिनियम 2014
VIC	बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए अधिनियम 2005 – *इसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान शामिल हैं*
	मानवाधिकार और उत्तरदायित्व चार्टर अधिनियम 2006
	अपराध अधिनियम 2013
	यौन अपराधी पंजीकरण अधिनियम 2004
	वर्कर स्क्रीनिंग अधिनियम 2020
	पारिवारिक हिंसा संरक्षण अधिनियम 2008
	बच्चों और युवा लोगों के लिए आयुक्त अधिनियम 2012
	बाल रोजगार अधिनियम 2003
	बाल कल्याण और सुरक्षा अधिनियम 2005 – *इसमें रिपोर्ट करने योग्य आचरण प्रावधान शामिल हैं*
WA • बाल एवं सामुदायिक सेवा अधिनियम 2004 – *इसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान शामिल हैं* • समान अवसर अधिनियम 1984 • सामुदायिक संरक्षण (अपराधी रिपोर्टिंग) अधिनियम 2004 • वर्किंग विद चिल्ड्रन (आपराधिक रिकॉर्ड जाँच) अधिनियम 2004 • बच्चों और युवाओं के लिए आयुक्त अधिनियम 2006 • संसदीय आयुक्त संशोधन (रिपोर्ट करने योग्य आचरण) अधिनियम 2022 – *इसमें रिपोर्ट करने योग्य आचरण प्रावधान शामिल हैं*	
संबंधित नीतियाँ	
कर्मचारी आचार संहिता	
बच्चों के साथ सकारात्मक बातचीत संबंधित नीति	
टेक्नोलॉजी, उपकरण और इंटरनेट उपयोग नीति	
शिकायतें और फ़ीडबैक	
संबंधित प्रक्रियाएँ	
प्रक्रिया संग्रह	
अन्य	
बच्चों और युवाओं की सुरक्षा संबंधी घोषणापत्र	

प्रारूप 1	1.1
समय के साथ दस्तावेज में किए गए बदलाव (चेंज हिस्ट्री)	समय के साथ दस्तावेज में किए गए बदलावों का रिकॉर्ड (चेंज रजिस्टर)
स्वीकृति प्राप्ति तिथि	20/04/2026
कार्यान्वयन की तिथि	18/05/2026
दस्तावेज़ ओनर (मालिक)	CEO AU

दस्तावेज़ अनुमोदक	एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम
अगली समीक्षा	मई 2027